न्यायालय तहसीलदार डीडवाना — नागौर (राज0)

बईजलास — श्री दयानन्द रूयल आर.टी.एस.

मु0 सं0 01/2018—19

दायर दिनांक 28.03.2018

प्रार्थी	V/S	अप्रार्थी
पटवारी हल्का बरड़वा		श्री अमराराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी बेमोठ

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 14.11.2018

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **पटवारी हल्का** बरड़वा ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी ने ग्राम **बेमोठ** के **खसरा नम्बर 40/92** किस्म गै.मु.रास्ता में सें 0.02 **बीघा** भूमि पर **अतिक्रमण** किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि में से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस खुले मकान पर चस्पा होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी का पुत्र श्रवण कुमार उपस्थित रहा। लेकिन किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एंव पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम बेमोठ के **खसरा नम्बर 40/92** किस्म **गै.मु.रास्ता** में सें **0.02** बीघा भूमि पर अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। **अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।** अप्रार्थी को ख0न0 40/92 किस्म गै0मु0रास्ता में सें 0.02 बीघा भूमि पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते है। तथा भूमि के वार्षिक लगान दर 0.75 रू0 के 50 गुणा से रूपये 38/— अक्षरे अड़तीस रूपये मात्र की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हल्का को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं त0रा0ले0 कार्यालय हाजा को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्बंधित प्रविष्ठियां रजिस्टर रा.लेखा सं. 4 के पृष्ठ 06 पर दिनांक 30/11/18 को अंकित की गई।
त.रा.ले.डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना